न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-308RAAJodhpur2023-136RTA225 Kailashchandra Vs Jagdish etc

कैलाशचन्द्र पुत्र श्री जगदीश जी, जाति माली, निवासी- पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. जगदीश पुत्र रामलाल जी
02. गोविन्द पुत्र जगदीश जी
    जातियान् माली, निवासीगण- मालीयों का उगुणी बास, डालडा टेन्ट हाउस के पीछे, पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
03. कमला पुत्री जगदीश जी पत्नी धर्माराम जी, जाति माली, निवासी- बागड़ा बेरा, ग्राम कोसाणा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
04. गुडीया पुत्री जगदीश जी पत्नी राणाराम जी, जाति माली, निवासी- एस.डी.एम. कोर्ट के सामने, पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
05. प्यारेलाल पुत्र प्रभुराम,
06. रामेश्वर पुत्र प्रभूराम
07. गणपत पत्र रामेश्वर
    जातियान् माली, निवासीगण- सुर्या अस्पताल के सामने, मालीयों का उगुणी बास, पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
08. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 11 अगस्त 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2023 कैलाशचन्द्र बनाम जगदीश इत्यादि

उपस्थित-

08.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री पीराने खान, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 7
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. 8

नि र्ण य

दिनांक : 08 फरवरी 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2023 अनवान कैलाशचन्द्र बनाम जगदीश इत्यादि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 अगस्त 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 17 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2441/1 रकबा 2.4675 हैक्टेयर ग्राम पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर के संबंध खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12.04.2023 को अपीलांट को सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई, किंतु उक्त आदेश दिनांक 11 अगस्त 2023 के जरिये संशोधित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी एवं सहदायगी की आराजी है, जिसमें अपीलांट का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अन्य अप्रार्थीगण के साथ दुराभिसंधी करते हुए अपीलार्थी को उसके अधिकारों से वंचित करने के उद्धेश्य से जवाब प्रस्तुत कर आलौच्य आदेश पारित करवाया है अन्यथा अपीलार्थी द्वारा

08-2-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुत दावे में भी घोषणा एवं विभाजन की डिक्री राजीनामे के आधार पर पेश करने की सहमति अप्रार्थी द्वारा दी जा सकती थी। खसरा नं. 2441/1 का मूल रकबा 2.4675 हैक्टेयर था, जिसमें में 0.3435 हैक्टेयर भूमि सड़क हेतु अवाप्त कर ली गई तो शेष रकबा 2.1240 हैक्टयेर बचता है एवं प्रत्येक के 1/3 हिस्से में 0.708 हैक्टेयर रकबा आता है। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत जवाब में उसने रेस्पोडेंट संख्या पांच के हिस्से में 0.8054 हैक्टेयर एवं रेस्पोडेंट संख्या छः के हिस्से में 0.8092 हैक्टेयर भूमि बंट में आना बताते हुए जवाब पेश किया, जिसके अनुसार स्वयं अप्रार्थी संख्या एक के हिस्से में केवल 0.5084 हैक्टेयर रकबा ही होना ही बताया है जो निश्चित रूप से उसके 1/3 हिस्से से कम हे एवं इस तरह की कार्यवाही से अप्रार्थी संख्यसा एक खातेदारी अधिकारों का अप्रत्यक्ष रूप से बिना किसी वैध हस्तांतरण पत्र के हस्तांतरण करना चाहता है एवं ऐसा केवल अपीलार्थी को उसक जायज अधिकारों से वंचित करने हेतु किया जा रहा है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा करने का लाईसेंस अपीलाधीन आदेश के जरिये रेस्पोडेंट को दिया है। रेस्पोडेंट संख्या एक विचारण न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वादों में विभाजन नहीं करवाकर तहसीलदार के समक्ष विभाजन पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट संख्या पांच व छः का हिस्सा बढाने हेतु आतुर है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। इसलिए अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना आवश्यक है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

08.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2023 को खारिज फरमाया जावे एवं पूर्व पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 को यथावत रखा जावे।

जबाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष पारिवारिक बंटवाड़ा प्रस्तुत किया जो तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा बंटवाड़ा स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात का पारिवारिक बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश पारित कर दिया है। अपीलांट द्वारा उक्त पारिवारिक बंटवाड़े का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही को रुकवाने के उद्धेश्य से हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट वर्तमान में वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार नहीं है। आर.बी.जे. 2022 पेज 745 के मुताबिक पिता के जीवनकाल में बेटा बंटवाड़े का दावा नहीं ला सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत दावा पोषणीय ही नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि कानूनन सहखातेदारान् के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2023(2)आर.आर.टी. पेज 880, आर.बी.जे. 2015 पेज 719, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 113, आर.आर.टी. 2022(1) पेज 129, आर.आर.टी. 2019(2) पेज 1 की न्यायिक नजीरे पेश की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। नामांकरण संख्या 2611 दिनांक 16.

10.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

03.1999 ग्राम पीपाड़ शहर एवं अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2441/1 रकबा (15.56 बीघा) 2.4675 हैक्टेयर ग्राम पीपाड़ शहर प्रथमदृष्टया अपीलांट्स के दादा रामपाल के नाम दर्ज रहने से उसकी पुश्तेनी भूमि है। अपीलांट के पिता/रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा भी वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रथक से विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 19/2022 विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने से प्रथमदृष्टया अपीलांट का पुश्तैनी हिस्सा निहित है, जिसे संरक्षित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध है तथा विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को मामला निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2023 अनवान कैलाशचन्द्र बनाम जगदीश इत्यादि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 अगस्त 2023 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम

दि. 08.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2441/1 रकबा 2.4675 हैक्टेयर ग्राम पीपाड़ शहर में सें राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त रकबा 0.3435 हैक्टेयर को छोड़ते हुए शेष रकबा 2.1240 हैक्टेयर के 1/3 हिस्से का बेचान/हस्तांतरण नहीं करे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अदालत हाजा का उक्त आदेश दिनांक 08 अप्रैल 2024 के पश्चात स्वतः ही निरस्त माना जावे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 21 फरवरी 2024 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08.2.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर